न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 32/2023 (2023/76)

नोरती पत्नि लालाराम उर्फ सत्यनारायण जाति माली
रामप्यारी पुत्री लालाराम उर्फ सत्यनारायण जाति माली
जसोदा पुत्री लालाराम उर्फ सत्यनारायण जाति माली
समस्त निवासीगण लसाडिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर

----वादीगण

♠बनाम♠

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी

-- प्रतिवादी

घीसी पत्नि कैलाशचन्द जाति माली
लाली देवी पत्नि बजरंगलाल जाति माली
समस्त निवासीगण लसाडिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर

---प्रफोर्मा प्रतिवादीगण

उपस्थितः–
श्री मुरलीधर शर्मा – अधिवक्ता वादीगण
पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक 25.05.2023

पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 एवं महंगाई राहत शिविर केम्प [illegible]ाडिया में पेश हुई। वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम व [illegible]ा 136 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पेश किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है [illegible]ीगण की संयुक्त पुश्तैनी कब्जे काश्त स्वामित्व खातेदारी की वादवर्णित आराजीयात [illegible] ग्राम लसाडिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्नप्रकार

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
213–414	1212	0.85	बारानी 1
	किता 1	रकबा 0.85 हैक्टर	

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अनुसार उक्त आराजीयात में वादीगण का प्रत्येक का [illegible]/9 हिस्सा एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण का प्रत्येक का 1/3 हिस्सा दर्ज है। वादीगण की अन्य [illegible]ृषि आराजीयात जो कि ग्राम लसाडिया में स्थित है एवं खाता संख्या क्रमशः 128, 373, 375, [illegible]376 है में वादीगण के पिता/पति का नाम लालाराम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादीगण वादवर्णित आराजी पर अपने हिस्से अनुसार काबिज एवं काश्त करते चले आ रहे है।

वादीगण के पति/पिता का नाम लालाराम उर्फ सत्यनारायण था जो कि फौत हो चुके है व फोती नामान्तकरण से उपरोक्त वर्णित आराजीयात वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है [illegible] के राशन कार्ड, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजो में पिता/पति का नाम

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

ाम दर्ज है व कृषि आराजीयात अन्य खाता संख्या 128, 373, 375, 376 में भी लालाराम है। उपरोक्त वादवर्णित आराजीयात में वादीगण के पिता/पति का नाम सत्यनारायण दर्ज सके कारण वादीगण को कई कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वादीगण ने व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने हेतु प्रतिवादी के कार्यालय में कई मर्तबा निवेदन किया लेकिन दी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय से आदेश करवाने की कहा जिससे यह त्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर र्णित आराजी में वादीगण के पिता/पति का नाम सत्यनारायण के स्थान पर लालाराम सत्यनारायण दुरूस्ती कर बतौर खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर ादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रफोर्मा प्रतिवादीगण 2 लगायत 3 की ओर से ब दावा प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादपत्र के पेरा संख्या 1 से 7 व प्रार्थना सत्य से स्वीकार है एवं साथ ही निवेदन किया कि वादवर्णित आराजीयात संयुक्त खातेदारी की जस पर अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। वादवर्णित आराजी में वल्दियत लालाराम स्थान पर सत्यनारायण हो गया जबकि अन्य खातों में वल्दियत लालाराम है इसलिए ागण का दावा स्वीकार कर वल्दियत सत्यनारायण उर्फ लालाराम किये जाने का प्रफोर्मा वादीगण द्वारा अपने जवाब दावा में निवेदन किया गया है।

आज प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प लसाडिया में उपस्थित प्रतिवादी पेरोकार कार द्वारा मुताबिक भू.अ.निरी. जूनियां, पटवारी हल्का की रिपोर्ट, आधार कार्ड, गवाह, मौका र्ा, सरपंच ग्राम पंचायत लसाडिया की सहमति आदि के आधार पर ग्राम लसाडिया के खाता ख्या 213 में दर्ज खसरा नम्बर 1212 पर नोरती पत्नि सत्यनारायण, जसोदा, रामप्यारी त्रियां सत्यनारायण कौम माली के स्थान पर नोरती पत्नि सत्यनारायण उर्फ लालाराम, सोदा, रामप्यारी पुत्रियां सत्यनारायण उर्फ लालाराम कौम माली निवासी लसाडिया के नाम रा 136 के तहत दुरूस्ती हेतु रिपोर्ट/जवाब दावा प्रस्तुत किया है।

–:आदेश:–

हमने पत्रावली, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, पेरोकार सरकार तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट/जवाब दावा, सहखातेदारान प्रफोर्मा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा का अवलोकन किया। पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया। वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम लसाडिया तहसील केकड़ी की जमाबंदी के खाता संख्या 213–414 में दर्ज खसरा नम्बर 1212 पर वादीगण के पिता/पति का नाम सत्यनारायण के स्थान पर सत्यनारायण उर्फ लालाराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार केकड़ी नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद की कार्यवाही करें। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेंगे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें।

आदेश आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 एवं महंगाई राहत शिविर केम्प लसाडिया में मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
सत्यमेव जयते